

केंद्रीय तबिबती राहत समिति

प्रलिमिस के लिये:

केंद्रीय तबिबती राहत समिति, टीपीआईई (नरिवासन में तबिबती संसद), शमिला कन्वेशन।

मेन्स के लिये:

भारत की तबिबत नीति, भारत के हतों पर देशों की नीतियों और राजनीतिका प्रभाव।

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तबिबती राहत समिति(Central Tibetan Relief Committee- CTRC) को 40 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना का वसितार कर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्षों के लिये बढ़ा दिया है।

- यह योजना देश के 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में फैली तबिबती बस्तियों में रहने वाले तबिबती शरणारथियों के लिये प्रशासनकी खरचों और सामाजिक कल्याण खरचों को पूरा करने हेतु सीटीआरसी को 8 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान प्रदान करती है।



केंद्रीय तबिबती राहत समिति:

- इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। समितिका मुख्य उद्देश्य नजी, स्वैच्छिक एजेंसियों और तबिबती शरणारथियों के पुनर्वास एवं उन्हें बसाने के लिये भारत सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय स्थापित करना है।

- इस समति में भारत, नेपाल और भूटान में स्थिति 53 तबिबती बस्तियों के सदस्य शामिल हैं।
- यह तबिबत की सांस्कृतिक और धार्मिक वरिसत को संरक्षित करने तथा नरिवासति तबिबती लोगों के स्थायी लोकतांत्रिक समुदायों का नरिमाण करने और उनके सतत रखरखाव हेतु समरपति है।
- यह सरकारों, वैशेष रूप से भारत, नेपाल और भूटान, परोपकारी संगठनों और व्यक्तियों की उदार अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर नरिभर है।
- सभी CTRC गतिविधियाँ नविशक मंडल की सहमती और समर्थन तथा TPiE (नरिवासन में तबिबती संसद) से अनुमोदन के साथ की जाती हैं।
- TPiE का मुख्यालय हमिचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के धर्मशाला में है, जिसके अनुसार पूरे भारत में 1 लाख से अधिक तबिबती बस्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

तबिबती शरणारथियों के पलायन का कारण:

- वर्ष 1912 से वर्ष 1949 में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना तक कसी भी चीनी सरकार द्वारा चीन के तबिबत स्वायत्तत क्षेत्र (Tibet Autonomous Region- TAR) पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया।
- कई तबिबती लोगों का कहना है कि वे उस समय के अधिकांश समय अनविराज्य रूप से स्वतंत्र थे और वर्ष 1950 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा TAR पर कब्ज़ा करने के बाद वहाँ चीन के शासन का वे वरिध करते रहे।
- वर्ष 1951 तक अकेले दलाई लामा की सरकार ने इस भूमिक्षेत्र पर शासन किया।
- तबिबत तब तक "चीन" के अंतर्गत नहीं था जब तक कि माओत्से तुंग की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (People's Liberation Army- PLA) ने इस क्षेत्र में अपने सैनिकों के साथ मार्च नहीं किया।
- इसे अक्सर तबिबती लोगों और तीसरे पक्ष के टपिपणीकारों द्वारा "सांस्कृतिक नरसंहार" (Cultural Genocide) के रूप में वर्णित किया गया है।
- वर्ष 1959 का असफल तबिबती विद्रोह, जिसमें तबिबती ने चीन की सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास में विद्रोह किया तथा यह 14वें दलाई लामा के भागकर भारत आने का कारण बना।
- 29 अप्रैल, 1959 में दलाई लामा द्वारा उत्तर भारतीय हिले स्टेशन मसूरी में तबिबती नरिवासन प्रशासन (Tibetan Exile Administration) की स्थापना की गई।
- इसे आध्यात्मिक दलाई लामा के केंद्रीय तबिबती प्रशासन (Central Tibetan Administration- CTA) का नाम दिया गया है जो स्वतंत्र तबिबत की सरकार की निरितरता का परणिम था।
- मई 1960 में CTA को धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया गया।

भारत की तबिबत नीति:

- तबिबत वर्षों से भारत का एक अच्छा पड़ोसी रहा है, क्योंकि भारत की अधिकांश सीमाओं सहित 3500 किमी. LAC तबिबती स्वायत्तत क्षेत्र के साथ जुड़ा है, न किंतु चीन के साथ।
- वर्ष 1914 में चीन और तबिबत के प्रतिनिधियों ने ब्राटिश भारत के साथ शमिला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत सीमाओं को चिह्नित किया गया।
- हालाँकि वर्ष 1950 में चीन द्वारा तबिबत के अधिग्रहण के बाद चीन ने इस सम्मेलन और मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया, जिसने दोनों देशों को वभाजित किया था।
- इसके अलावा वर्ष 1954 में भारत ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें तबिबत को 'चीन के तबिबत क्षेत्र' के रूप में मान्यता देने पर सहमति हुई।
- वर्ष 1959 में तबिबती विद्रोह के बाद 'दलाई लामा' (तबिबती लोगों के आध्यात्मिक नेता) और उनके कई अनुयायी भारत आ गए।
- पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें और तबिबती शरणारथियों को आश्रय दिया तथा नरिवासन में तबिबती सरकार की स्थापना में मदद की।
- आधिकारिक भारतीय नीतियह है कि दलाई लामा एक आध्यात्मिक नेता हैं और भारत में एक लाख से अधिक नरिवासति लोगों वाले तबिबती समुदाय को कसी भी राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है।
- भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव की स्थितिमें भारत की तबिबत नीतिमें बदलाव आया है।
 - नीतिमें यह बदलाव सार्वजनिक मंचों पर दलाई लामा के साथ स्क्रिप्ट रूप से संलग्न होने वाली भारत सरकार की नीतियों को चिह्नित करता है।

स्रोत: द हंडू